न्यायिक नियंत्रण की समीक्षा करें

PAPER – V (5). Pol. Science

JUDICIAL CONTROL OVER PUBLIC ADMINISTRATION

(1)

Dr. S. B. Kr.

Question :- Examine the method of Judicial control over Public Administration.

Answer वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में तथा लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन का महत्व दिनोंदिन विकासोन्मुख है। इसके बढ़ते हुए महत्व के कारण आज जीवन के हर क्षेत्र में लोक प्रशासन का किसी न किसी रूप में हम हस्तक्षेप अवश्य पाते हैं। यदा-कदा ऐसा पाया जाता है, कि प्रशासन के द्वारा किए गए कार्यों से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है। अपने अतिक्रमित अधिकारों की रक्षा हेतु नागरिक न्यायालय का शरण लेते हैं।

अतः लोक प्रशासन के क्षेत्र में न्यायालय का काम नागरिक अधिकारों की रक्षा करना तथा प्रशासकीय अधिकारियों को उसकी सीमा में बनाए रखना ~~न्यायालय~~ होता है। न्यायपालिका की रचना प्रशासन में अत्याचार, अनियमितता, भ्रष्टाचार आदि दोषों को दूर करने के उद्देश्य से की गई है। जब कोई सरकारी अधिकारी नागरिकों के संवैधानिक या मौलिक अधिकारों का हनन (अतिक्रमण) करते हैं, तो न्यायपालिका उनकी रक्षा करता है। इस प्रकार न्यायपालिका का नियंत्रण प्रशासकीय कार्यों की वैधिकता निश्चित करता है। प्रशासकीय कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण की धारणा विधि के शासन के सिद्धान्त से उद्भूत हुआ है। उचित न्यायिक नियंत्रण हेतु न्यायालय की कार्य कुशलता प्रशासन में विशिष्ट महत्व रखता है। इस सन्दर्भ में ब्राइस ने कहा है:— "There is no better test of excellence of a government than the efficiency of its Judicial System."

Ground of Judicial Control — न्यायपालिका का कतिपय विशेष परिस्थितियों के आधार पर प्रशासन पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाता है। ~~Dr. L.D. White ने इन परिस्थितियों को 5 प्रकार का माना है।~~

(1) LACK OF JURISDICTION :→ संविधान के द्वारा

P.T.O.

साथ ही आज संसद के द्वारा या विधान मंडल के द्वारा समय-2 पर विधेयक पास कर या कानून बनाकर प्रशासन के अधिकार क्षेत्र निश्चित किये जाते हैं। अतः न्यायालय केवल उसी दशा में हस्तक्षेप करता है जबकि प्रशासक ने कोई कार्य अपने अधिकार या अधिकार क्षेत्र से बाहर या बिना अधिकार के किया हो।

(II) Error of law :→ यदि प्रशासकीय अधिकारी कानून की गलत व्याख्या करता है और नागरिक पर उनका उत्तरदायित्व लाद देता है, जो कानून के अनुसार उचित नहीं है तथा वास्तव में कानून की सीमा के बाहर है, तो इसे वैधानिक त्रुटि कहा जायेगा। तो इस आधार पर न्यायपालिका की शरण ली जा सकती है।

(III) Error of fact-finding :→ कभी-2 प्रशासन द्वारा गलत तथ्यों पर कदम उठा लिया जाता है। न्यायालय ऐसे गलत उठे कदमों पर नियंत्रण रखती है और तथ्य को छिपाने में प्रशासन का जो व्यक्ति या शाखा दोषी होता है उसे न्यायपालिका दंडित करती है।

(IV) Abuse of Authority :→ यदि कोई सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति को हानी पहुँचाने हेतु बदले की भावना से अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है तो इस आधार पर न्यायालय हस्तक्षेप करते हुए संबंधित अधिकारी को दंडित कर सकता है।

(V) Error of Procedure :→ यदि किसी व्यक्ति या संस्था को मदद पहुँचाने हेतु प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया संबंधी नियमों का पालन न करने पर भी न्यायिक हस्तक्षेप संभव है।

METHOD OF JUDICIAL CONTROL

प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण रखने के कई रूप एवं तरीके हैं। न्यायपालिका प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए मुख्यतः निम्न तरीको का प्रयोग करती है।

(I) Judicial Review of administrative action and decisions :→ प्रशासकीय कार्यों की समय-2 पर निरिक्षण करना न्यायालय का प्रमुख कार्य है।

यदि उनके कार्य या प्रशासकीय आज्ञायें अधिनियमों के विरुद्ध हैं तो वैसी परिस्थिति में न्यायालय उन्हें अवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत और अमेरिका में इस अधिकार का प्रयोग व्यापक रूप में होता है।

(II) Statutory Appeal :- न्यायालय का कर्तव्य है कि वह व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका को सौंपी गई स्वेच्छाचारी शक्ति का विरोध करे। प्रशासकीय आज्ञाओं के विरुद्ध एवं निर्णयों के विरुद्ध न्यायालयों में अपील की जा सकती है और न्यायालय का कार्य आज्ञाओं की वैधता अवैधता देखना ही जाता है। पदाधिकारी अपनी आज्ञाओं को प्रभावशाली बनाने हेतु न्यायालय से प्रार्थना कर सकते हैं।

(III) Taxation :→ व्यवस्थापिका जिस कानून द्वारा प्रशासक को कर लगाने की शक्ति प्रदान करती है, उसका संवैधानिक आधार होना चाहिए। न्यायपालिका यह देखती है कि संसदीय स्वीकृति के बिना कार्यपालिका करारोपण न करे।

(IV) Suite against the government :→ कुछ परिस्थितियों में नागरिकों को सरकार के विरुद्ध अभियोग लगाने का भी अधिकार प्रदान किया जाता है, परन्तु ऐसा किन परिस्थितियों में किया जायेगा, यह संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा तय किया जाता है।

(V) Suite against Public officials :→ समस्त प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यों हेतु न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी है। प्रशासन से किसी प्रकार की शिकायत होने पर कोई भी नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को न्यायिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान करता है।

(VI) Extra ordinary Remedies :→ भारतीय संविधान की धारा 32(2) में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की असाधारण रीतियों के अंतर्गत विशेष विवादों में आवश्यकतानुसार लेख जारी करने का व्यापक स्व विवेकीय अधिकार प्राप्त है। ये असाधारण रीतियाँ निम्नवत हैं→

P.T.O.

(VI) Stay order → (निषेधाज्ञा) → यह कार्यपालिका के (v) अधिकारियों को किसी विशेष कार्य से रोकने के लिये दिया जाता है जबकि प्रतिषेध आदेश न्यायिक अधिकारियों को किसी विशेष कार्य को रोकने के लिये जारी किया जाता है।

(i) Habeas Corpus :→ (बंदी प्रत्यक्षीकरण) → इस लेख का संबंध नजरबंदी की वैधानिकता जाँचने से होता है। Habeas Corpus का शाब्दिक अर्थ (to produce the body of) शरीर को प्राप्त करना है। इस लेख के माध्यम से न्यायालय उस व्यक्ति या संस्था को जिसने किसी व्यक्ति को बंदी बना रखा है, आदेश देता है कि उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में उपस्थित करें ताकि न्यायालय बंदी बनाये जाने के औचित्य पर विचार कर सके। L. D. White का कथन है "The effect of the writ in any case is to cause the person under detention to be brought before the cause for determination of the legality of his detention."

(ii) Mandamus (परमादेश) → इस लेख का शाब्दिक अर्थ है "किसी को आज्ञा देना"। यह उच्च न्यायालय द्वारा नीचे के न्यायालय व्यक्ति पर निगम को जारी किया गया आदेश है। इस लेख के अनुसार सरकारी अधिकारियों या निगमों को यह आज्ञा दी जाती है कि वे उन कर्तव्यों को अवश्य पूरा करे जिन्हें उन्होंने भुला रखा है।

(iii) Prohibition (निषेधाज्ञा) → यह लेख उच्च स्तरीय न्यायालय द्वारा नीचे के न्यायालय को जारी किया जाता है। इस लेख का उद्देश्य निचले न्यायालय को ऐसा कार्य करने से रोकना है जो उसे कानूनन प्राप्त नहीं है। इसके द्वारा प्रशासन पर बहुत कम नियंत्रण रखा जाता है।

(iv) Certiorari :→ (उत्प्रेषण लेख) → इस लेख का शाब्दिक अर्थ है "प्रमाणित होना" (to be certified) या निश्चित होना (to be certain)। यह उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचले न्यायालय को जारी किया गया एक आदेश है जिसमें वह नीचे के न्यायालय को यह आज्ञा देता है कि वह किसी विशेष मुकदमे से संबंध कागजात उच्च न्यायालय को भेज दे अर्थात् इसके द्वारा उच्चतर न्यायालय निम्न न्यायालय के अभिलेखों की समीक्षा करता है।

जारी

(iv) Quo Warranto (अधिकार पृच्छा) → लैटिन भाषा Quo warranto का शाब्दिक अर्थ "किस अधिपत्र या अधिकार द्वारा" (What warrant or, authority) है। इस लेख के द्वारा किसी व्यक्ति के किसी पद हेतु दावे से कानूनी औचित्य की जाँच की जा सकती है। यह सरकारी अधिनियम पर न्यायिक नियंत्रण रखने का एक प्रत्यक्ष साधन है।

इस प्रकार न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न तरीको और रूपो की विवेचना से स्पष्ट होता है कि न्यायिक नियंत्रण प्रशासन को उसकी सीमा में कार्य करने हेतु प्रेरित करता है।

Limitations on Judicial Control of Administration:-

आलोचको का मत है कि न्यायिक नियंत्रण का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग प्रशासन के लिए उचित सिद्ध नहीं होता क्योंकि इससे शासन की नियमितता और कुशल सँचालन बाधित हो सकता है। L.D. White के अनुसार:- "At one extreme the vigour of judicial control may paralyse effective administration." अतः न्यायिक नियंत्रण की निम्न सीमाये हैं।

(1) कुछ प्रशासकीय कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाता है, ऐसे प्रशासकीय कार्यों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती ~~सकती~~।

(2) जो प्रशासकीय कार्य न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं होते हैं, उनपर चाहते हुए भी न्यायालय अपनी ओर से कोई कदम नहीं उठा सकता क्योंकि वह केवल पीड़ित अथवा प्रभावित पक्ष की प्रार्थना पर ही हस्तक्षेप कर सकती है।

(3) चूँकी न्यायिक कार्यवाही बहुत ~~व्यय साध्य~~ खर्चीला है, अतः अधिकांश लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं।

(4) न्यायिक प्रक्रिया उलझी तथा मंद होने के कारण निर्णयो में व्यापक विलंब हो जाता है, फलतः लोग

P.T.O.

Scanned with CamScanner

न्यायालय की शरण में जाने से हिचकते हैं। इस संबंध में आलोचकों का कहना सही है कि "Justice delayed is justice denied."

(5) साधारणतः न्यायालयों के न्यायधीश तकनीकि विशेष योग्यता के अभाव में समुचित निर्णय देने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसी कारण तकनीकी प्रकार के प्रशासनिक मामले प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के पास भेज दिये जाते हैं।

CONCLUSION :→ अस्तु, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु नितांत अनिवार्य एवं वांछनीय है। इसके व्यापक महत्व के कारण ही तानाशाही शासन में प्रथम आक्रमण का शिकार न्यायालय ही होता है। श्रीमती गांधी द्वारा घोषित आपात काल में स्वतंत्र न्यायपालिका के अभाव का दुष्परिणाम जनता को भोगने पड़े थे। न्यायिक नियंत्रण की स्वेच्छाचारिता पर सीमित अर्थों में कुछ सीमाओं का भी प्रावधान है। वास्तव में यदि प्रशासनीय अधिकारी न्यायप्रिय और पक्षपात हीन हो जाये तो न्यायिक और न्यायिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता ही नहीं रहे।

अंततः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि वर्तमान संदर्भ में निरंतर विकासशील प्रशासनीय दायित्वों और परोक्ष स्वेच्छाचारी शक्तियों के दमन एवं उन्हें मर्यादित करने हेतु न्यायिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण भूमिका वांछनीय है। न्यायिक नियंत्रण एक ऐसी लटकते हुए तलवार की भाँति है जिसके भय से प्रशासनीय अधिकारी अपने दायित्वों के प्रति सतर्क तथा स्वेच्छाचारिता से विमुख होने का प्रयास करते हैं। यहाँ L.D. White की उक्ति उद्धृत करना प्रासंगिक है कि-

"Officials always are aware that their acts may be challenged in the court and that under some circumstances they may be liable for damages if they make a mistake"

—x—

Scanned with CamScanner